न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :— 23/2019

1. गिरिराज आयु 22 साल आ0 श्री सोहनलाल जाति मीणा निवासी बलकासा तह0 के0 पाटन जिला बून्दी राज0

—वादी

बनाम

1. सोहनलाल आयु 60 साल आ0 गोविन्दा जाति मीणा निवासी बलकासा तह0 के0 पाटन जिला बून्दी राज0
2. कन्हैयालाल आयु 32 साल आ0 श्री सोहनलाल जाति मीणा निवासी बलकासा तह0 के0 पाटन जिला बून्दी राज0
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार के0 पाटन जिला बून्दी राज0

— प्रतिवादीगण

वाद :— घोषणा, बंटवारा भूमि व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट

उपस्थित :—

1. वादी की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, एडवोकेट
2. प्रति0 की और से श्री, निलेश सामरिया एडवोकेट।

—: निर्णय :—

दिनांक —03.09.2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 22.09.2009 को यह वाद अधिकार घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा संख्या 552 रकबा 1.57 है0, खसरा संख्या 569 रकबा 1.74 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 3.31 है0 वाके ग्राम रामपुरिया पटवार क्षैत्र बलकासा तहसील के0 पाटन जिला

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

बून्दी में विस्थित है। जिसकी खतौनी संख्या नई 156 पुरानी 140 है। जमाबन्दी 2064 से 2067 है। उक्त भूमि के खातेदार राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 अंकित है। खतौनी जमाबन्दी नई 268 पुरानी 251 की कृषि भूमि ख.सं. 255 रकबा 3.99 है0 वाके ग्राम बलकासा तह0 के0 पाटन जिला बून्दी में विस्थित है। जमाबन्दी 2063 से 2066 के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 सोहनलाल खातेदार काश्तकार अंकित है। खतौनी जमाबन्दी नई 10 पुरानी 9 ख.सं. 73 रकबा 0.10 है0, ख.सं. 82 रकबा 0.45 है0, ख.सं. 83 रकबा 1.41 है0, ख.सं. 84 रकबा 2.20 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 4.16 है0 वाके ग्राम बलकासा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त भूमि के खातेदार राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 2 अंकित है जो जमाबन्दी सम्वत 2063 से 2066 में अंकित है। उक्त वर्णित कृषि भूमियां पैतृक कृषि भूमियां है। जिन पर वादी का जन्म से ही अधिकार है। प्रतिवादी सं. 1 सोहनलाल, वादी व प्रतिवादी सं. 2 के पिता है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य निम्न प्रकार मोखिक रूप से बंटवारा हो रहा है। वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित भूमि पर वादी काबिज काश्त है व उक्त भूमि वादी को पारिवारिक बंटवारे में दी है एवं वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 2 के बंटवारे में आई है व उसी के अनुसार प्रतिवादी सं. 2 काबिज काश्त है। वादपत्र के चरण सं. 1,2,3 में वर्णित भूमि का आपसी सहमति से पारिवारिक मौखिक बंटवारा हुआ है लेकिन राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नही होने से वादी को लगान पिलाई अदा करने, ऋण प्राप्त करने व भूमि का विकास करने में कठिनाई का सामना करना पडता है इसलिये वादी को अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र के चरण सं. 2 में वर्णित भूमि जो कि पैतृक कृषि भूमि है। उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 वादी के पिता के खाते में दर्ज है पर वादी बंटवारा करवाकर वादपत्र के चरण सं. 2 में वर्णित आराजी पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में स्वतंत्र रूप से अपना नाम दर्ज करवाये व इस आशय की घोषणा करवाये व प्रतिवादी सं. 1 का नाम उक्त आराजी पर से विलोपित करवाये।

3. वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण की और से दिनांक 19.08.2019 को आपसी सहमति का राजीनामा पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 19.08.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता संख्या 308 की कृषि भूमि ख.सं. 255 रकबा 3.99 है0 वाके ग्राम बलकासा तह0 के0 पाटन जिला बून्दी का वादी गिरिराज को खातेदार घोषित किया जाता है एवं उक्त शेष वर्णित भूमि यथावत दर्ज रहेगी। रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

3/9/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix ‘d’-1)

अज अदालत इजलास – दुर्गाशंकर मीना

उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0पाटन आर.ए.एस.

गिरिराज **V/S** सोहनलाल वगै0

वाद– अधिकार घोषणा, बंटवारा भूमि व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :: 23/2019

वादी की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री निलेश सामरिया, अधिवक्ता की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 03.09.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

“वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता संख्या 308 की कृषि भूमि ख.सं. 255 रकबा 3.99 है0 वाके ग्राम बलकासा तह0 के0 पाटन जिला बून्दी का वादी गिरिराज को खातेदार घोषित किया जाता है व उक्त शेष वर्णित भूमि यथावत दर्ज रहेगी एवं रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।”

नीज ....ग................. मुबलिक ....ग.................. बाबत .... ग............. खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व षरह ....ग.................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग................. को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 03.09.2019 को जारी की गई।

मोहर

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner